कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायपुर जिला – रायपुर (छ.ग.)

संक्षिप्त ई-निविदा आमंत्रण सूचना – 446/2026 (द्वितीय आमंत्रण)

क्र. 2575/निविदा/ग्रा.यां.सेवा/2026 रायपुर, दिनांक 19/06/2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत (लोक निर्माण विभाग में) "D" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शित सिविल कार्य हेतु प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एवं दिनांक 01/11/2021 से प्रचलित प्रभावशील दर अनसुची तथा टयुब वेल हेतु लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 07.02.2013 से जारी दर अनुसूची मुद्रित एवं अद्यतन संशोधित दरों पर आनलाईन प्रतिशत दर पर निविदा दिनांक 29/06/2026 तक आनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है |

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	ठेके की अनुमानित लागत लाख रू. में	धरोहर राशि रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूरा करने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Zonal Tender (Different Type of Civil Works i.e. but each work not exceeding cost of Rs. 30.00 lacs) at Nimora-Raipur, Distt.- Raipur (C.G.)	40.00	30000.00	1500	12 माह वर्षा ऋतु सहित	"D" वर्ग एवं उच्च वर्ग

2. निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट - 2.10) एवं निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट- 2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय मे उपस्थित होकर दिनांक 19/06/2026 से देखी जा सकती है।

3. निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार है:-

(i) निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

(ii) किसी भी समय ठेकेदार के पास सभी विभागों से प्राप्त कार्यों को मिलाकर दो गुना से अधिक कार्य नही होना चाहिए। तकनीकी योग्यता निर्धारित करते समय ऐसे ठेकेदारों को जिनके पास उक्त सीमा से अधिक लागत का कार्य शेष है, को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(iii) जिन ठेकेदारों ने पूर्व मे इस विभाग में कार्य अधूरे छोड़े हैं अथवा बगैर विधिक कारण के निविदा स्वीकृत होने के पश्चात कार्य का अनुबंध नही किया है, उन्हे भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा

(iv) निविदा आनलाइन दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि, सत्यानिष्ठा संधि एवं शपथ पत्र एवं द्वितीय लिफाफा में तकनीकी दस्तावेज परिषिष्ट I(i), I(ii), I(iii) जो संलग्न प्रपत्र में विस्तृत भरा हुआ हो तथा बैंक सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तत्पष्चात दोनो लिफाफा, तीसरे लिफाफा में भरकर प्रस्तुत करना होगा, प्रथम अपात्र होने की स्थिति में द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जावेगा। (शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

(v) विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्ते की कंडिका क्र-8 अ के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।

(vi) वित्तीय प्रस्ताव खोलने के पूर्व सत्यानिष्ठा संधि, जो निविदाकार द्वारा रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सरल क्रमांक 1.1 एवं 14 में तिथि को छोड़कर अन्य सभी कंडिकाएं भरकर प्रस्तुत की जावेगी तथा इसका उल्लेख शपथ पत्र में किया जावेगा, को स्केन कर अपलोड किया जावेगा तथा (स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म/जिस नाम से पंजीयन हो उनका सील प्रत्येक पृष्ठ पर होना चाहिए) हस्ताक्षरित हार्ड कापी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे (A) में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(vii) सत्यानिष्ठा संधि, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बगैर वित्तीय प्रस्ताव खोले जमा अमानत राशि राज्य

शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
(VIII) ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी / मस्टरोल वेतन भुगतान पंजी नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य है तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य है।
(ix) ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे- ओव्हर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाष, ई.एस.आई., भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।
(x) यदि कोई ठेकेदार पावर आफ एटार्नी के आधार पर कार्य को सबलेट करता है तो, उसका अनुबंध समाप्त करने हेतु विभाग पूर्णतः सक्षम होगा।
(xi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवष्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत तीन माह की अवधि में जमा किये गये चालान/भुगतान सर्टिफिकेट पत्र की प्रति प्रस्तुत करना तथा आनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
(xii) विस्तृत निविदा दस्तावेज के 3.8.1 में दिये गये प्रोफार्मा अनुसार ठेकेदारो को बैंक सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्टीयक़त बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुल्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए एवं जो निविदा आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समय का ना हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है|
(xiii) सबलेट में दिये गये कार्य की राशि मूल ठेकेदार के अनुभव में से कम किया जावेगा तथा निजी ठेकेदार से प्राप्त कार्य के अनुभव को मान्य नही किया जावेगा।
(xiv) परिषष्टि 2.10 के Annexure G (Special Condition of NIT) की कंडिका 4 (1 to 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
(Xv) विषेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5%अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5%अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5% की राशि की कटौती नहीं की जावेगी।
4. चूंकि निविदाऐं आनलाईन 29/06/2026 तक प्रस्तुत की जानी है अतः अमानत राशि सत्यानिष्ठा संधि एवं तकनीकी दस्तावेज स्पीड पोष्ट के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 01/07/2026 को कार्यालयीन समय शायं 17.30 बजे तक पहुचना अनिवार्य है । निर्धारित समय पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।
5. आनलाईन निविदा समय सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर की जावेगी ।
6. उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है

सही/–
कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग रायपुर